न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 53/2024
प्रविष्टि दिनांक 07.05.2024

1–महेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
2–सोनू सिंह पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
3–राजवीर पुत्र रमेश जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
4–रामधन पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
5–रामहंस पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
6–कन्या पत्नी स्व.रमेश जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
7–देव पुत्री श्योकरण जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
8–रामप्यारी पत्नी स्व.रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
9–शान्ति देवी पत्नी स्व.रामदयाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
10–देवराज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक
11–सीताराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी सोरण–इस्लामपुरा तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–कजोड पुत्र सुज्या जाति बैरवा निवासी बमोर थाना सदर टोंक जिला टोंक
2–तहसीलदार टोंक जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 06.03.2024 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी कजोड बनाम महेन्द्र आदि

उपस्थिति : (1) श्री भगवान चौधरी,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री सवाई सिंह,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1

निर्णय दिनांक 17.04.2026

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 06.03.2024 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 288,289 व 305 कुल किता–3 कुल रकबा 1.3784 है. वाके ग्राम बमोर पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

गुणा राशि 2767/—रूपये शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183बी के लिए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दी गई परिसीमा का तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का सही तरह से विवेचन नहीं किया तथा अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दिनांक 04.05.2022 को हल्का पटवारी बमोर की रिपोर्ट के पश्चात दर्ज किया तथा उसके बाद दिनांक 07.06.2022 तारीख पेशी नियत की गई, जिसमें यह वर्णित किया गया कि अप्रार्थी दिनेश व नन्दू का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ है,जबकि दिनेश की मृत्यु दिनांक 08.07.2021 को ही हो गई थी तथा अन्य विपक्षीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया,इसके पश्चात दिनांक 22.09.2022 को अपीलान्ट्स की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उसके पश्चात उक्त पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में चल रही थी तथा दिनांक 31.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य पूर्ण रूप से आ गया कि अप्रार्थी दिनेश व नन्दू की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.02.2024 की आदेशिका में उक्त पत्रावली को निर्णय में नियत कर दिया तथा दिनांक 06.03.2024 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली में अपीलान्ट्स की ओर से कानूनी बिन्दु को लेकर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र लम्बित था, उसे अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान निर्णित नहीं किया तथा बिना अपीलान्ट्स को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी पर आवेदक कजोड़ का कभी कब्जा ही नहीं रहां तथा उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स व उनके पूर्वजों का कब्जा 50 वर्ष से अधिक समय से चला रहा है। आवेदक ने अपने आवेदन में एक झूठा अभिवचन किया कि आज से डेढ़ वर्ष पूर्व विपक्षीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है, उस रिपोर्ट को पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त रिपोर्ट अपूर्ण है, क्योंकि रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा गया कि विवादित तीनों खसरों का सीमाज्ञान वा मौका मुआयना किस मुस्तकिल बिंदू को मानकर किया गया तथा मौके पर कौन–कौन मौजूद थे,क्योंकि उक्त रिपोर्ट पर किसी भी स्वतंत्र या हस्तगत आवेदन के पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं अता है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.07.2024 को न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र 14(4) और दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे विवादित भूमि बाबत दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर रखा है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त 2024 (1) आर.आर.टी पृष्ठ संख्या 329, 2024 (1) आर.आर.टी पृष्ठ संख्या 245 व 2024 (1) आर.आर.टी पृष्ठ संख्या 250 उद्वरित किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 17.02.2022 को धारा 183 बी के तहत आवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.03.2024 की अपील अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 07.05. 2024 को प्रस्तुत करने के उपरान्त अपीलांट्स ने दिनांक 26.07.2024 को न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र 14(4) और दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे विवादित भूमि बाबत दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है, जो धारा 183 बी की कार्यवाही को delay करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तथा अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071–2074 वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक मे आराजी खसरा 288,289 व 305 कुल किता–3 कुल रकबा 1.3784 है. भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908 को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,उक्त प्रार्थना पत्र मे अपीलांट्स द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा विगत 50 वर्ष से अधिक समय का माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वंत 2075–2078 (वर्ष 2018–2021) मे रेस्पो.संख्या–1 द्वारा उक्त भूमि पर सरसो व गेहूँ की फसल काश्त करना पटवारी हल्का बमोर ने अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.09.2022 का अवलोकन करने से विदित होता है कि अपीलांट्स की और से अभिभाषक उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का बमोर की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त करना सिद्व है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 288,289 व 305 कुल किता–3 कुल रकबा 1.3784 है. वाके ग्राम बमोर पर कब्जा काश्त करना

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स सामान्य एंव रेस्पोडेण्ट संख्या–1 अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 06.03.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,
टोंक